डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-147 **New Delhi: 15.03.2021**

Sh. Ramesh Patel
Gujarat

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 09.03.2021, transferred from Ministry of Railways and received through DOPT.

Please connect your online RTI application dated 09.03.2021 which has been transferred to DFCCIL to provide information on point C only. As advised through DOPT portal on 11.03.2021, you have online deposited the required stationery charges on 12.03.2021. Now, information, as obtained from the concerned record holding office and pertaining to DFCCIL (~~part of~~ point C only) is as under:-

S. No	Point No.	Information sought for	Information provided
1.	(c)	Refer to the original RTI application dt. 09.03.2021	Copy of detailed procedure/Guidelines of land acquisition in DFCCIL is attached. (21 pages).

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

DA: 21 sheets.

15.03.2021

(S.K. Roy)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707

(1)

(33)

S.No 18

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

*****

No. 2006/W-I/Genl./DFC/Pt-II

New Delhi, 4th Dec., 2008

General Managers/CAOs(Const.)
Central Railway, Mumbai
Western Railway, Mumbai
North Western Railway, Jaipur
Northern Railway, New Delhi
North Central Railway, Allahabad
East Central Railway, Hajipur
Eastern Railway, Kolkata

Sub: Land acquisition.

Enclosed please find a copy of letter of even No. dated 11/12.11.2008 addressed to Managing Director, Dedicated Freight Corridors Corporation of India (DFCCIL) regarding procedure proposed to be followed in connection with land acquisition by concerned Zonal Railway for DFCCIL. This is for your information and necessary action.

DA/As above.

Sd/- 4/12/08
(Rajiv Chaudhry)
Executive Director (Works Planning)
o/c

Copy to: MD/DFCCIL for information and necessary action.

Issue
16/12/08

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड
Railway Board
संलग्नक सहित जारी
Issued with Enclosures
जारी की तिथि
Date of Issue

... KUMAR JAIN
महाप्रबंधक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टर्न कोरीडोर
General Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

GM/SEMU/DFCCIL
DIR/INFRA/DFCCIL

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No. 2006/W-1/Genl./DFC.Pt.II New Delhi, dated 11-11-08
12

The Managing Director,
DFCCIL,
5th Floor,Pragati Maidan,
Metro Station Building Complex,
New Delhi110001.

Sub:- Land acquisition for DFCCIL.

Ref: i) Board's letter of even number dated 27.10.08.
ii) DFCCCIL's letter No.HQ/F&AC/LA/1 dated 5-11-08

****

The issue of land acquisition for DFC projects has been under discussion in the Railway Board and information as asked for from DFC is still awaited.

Your letter dated 5-11-08, does not clarify the issues completely.

Land will be acquired by the Indian Railway under Chapter VI-A of the Indian Railways Act as modified in 2008. DFC will actively associate in the land acquisition process. Separate rules and procedures for acquisition of land under the Chapter VI-A for Indian Railways Act 1989 as amended in 2008, are under issue and will be advised shortly.

However, the following action needs to be taken parallerly by DFCCIL:

1. DFCCIL should advise the Railway-wise and district-wise details of land to be acquired. This will also help in preparing the schedule of land which will be required by the various authorities in the land acquisition process. These land schedules should include a key plan showing the location of the land. DFCCIL will liaison with the concerned State Govts. and propose appointment of 'Competent Authorities' for the purpose of land acquisition as per the Railway Act. ED(LA)-I, Railway Board has already been nominated as the Central Government for the purpose of the Indian Railways Act. The DFC will prepare and forward draft notifications, to be issued after the approval of the Central Government and vetted by Ministry of Law & Justice, if required.

शरद कुमार जैन
SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबंधक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टन कोरीडोर
Genreal Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

contd....

2. DFCCIL will nominate officials to work in close co-ordination of the various 'Competent Authorities'. It would also be necessary to open special joint Saving Bank Account in Nationalized Banks, preferably State Bank of India, in the name of the 'Competent Authority' and the officials nominated by DFC. All payments released by the Railways towards compensation will be released into these joint accounts. Disbursement of compensation will be done by cheques jointly signed by the account holders.

3. DFCCIL will prepare all the documents required for taking possession of land. The possession of land will be taken by Railway officials and immediately handed over to the DFCCIL officials. For this purpose, officials from Railways as well as DFCCIL will sign on the land handing over documents. Subsequently, lease agreement would be signed based on these documents. After receiving possession of land, DFCCIL will erect boundary pillars as per railway standards, or similar, to demarcate the land. DFCCIL will also ensure sufficient watch and ward activity to retain encroachment-free possession of the land. DFCCIL will liaison with the Railway officials and will arrange for signing the Lease Agreement.

4. DFCCIL will liaison with all concerned authorities and arrange for all details including preparing schedule of land required for the purpose of land acquisition by the competent authority. These land records will form the basis of taking over possession of the land acquired and also will form a part of the lease agreement to be signed between the Zonal Railways and DFC. DFC will forward to Central Government all correspondence for notifications made by the competent authority in pursuance of the Indian Railway Act.

5. Once the compensation money has been disbursed, DFC will start submitting monthly accountal of the money released by the Railways as compensation with the various joint accounts and those actually disbursed as compensation.

Immediately, DFCCIL will prepare and submit to Railway Board a detailed estimate indicating extent and cost of land to be acquired giving reasons of the increase in the extent of land now required vis-à-vis the RITES/GICA reports. This estimate will be scrutinized and sanctioned signed by Board.

It is requested that immediately a detailed list of notifications sent for issue be completed and sent to this office.

शरद कुमार जैन
SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबन्धक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टर्न कॉरीडोर
Genreal Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

Please take urgent action in the above mentioned points. It is requested that the progress made on this may be reported in the monthly PCDOs submitted by DFCCIL.

12-11-08
(Alok Mishra)
Director, Works (Plg.)
Railway Board

Copy for information to:
1. Advisor (Infra.), Railway Board.
2. EDL&A-1 – Railway Board
3. EDPD – Railway Board
4. EDFB – Railway Board

शरद कुमार जैन
SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबन्धक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टन कॉरिडोर
Genreal Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

HQ/SEMU/LA/Policy/Pt.I Dated: 25th June, 09

Sub. : Guidelines for processing of cases for Land Acquisition

Land Acquisition has reached upto the level wherein, we have more or less finalized the notification under section 20 A. We are in the process of making of notifications under section 20 E. The publication of 20 E is followed by making of compensation and award declaration.

Please find enclosed the steps involved in preparations of compensations package and the Performa which are required for compilation of details. These Performa's are presently being used in UP and may have local level variations.

1. As per Section 20 F (I) of RAA 'where any land is acquired under this Act, there shall be paid an amount which shall be determined by and order of the Competent Authority.'
2. 20 F (2) specifies 'that the Competent Authority shall make an award under this section within a period of one year from the date of publication of the 20 (E).'
3. The Competent Authority shall adopt the provisions mentioned under 20 G (*1*) to (6) for the determination of amount payable as compensation.

   The activities involved in this process are:-

   (a) Collection of circle rate list issued by the District Registrar under Indian Stamp Act, 1899. It can be procured from the office of District Registrar or the office of sub-registrar of concerned sub-division.

   (b) Collection of 50% sale deeds registered in the last 3 years of the villages under acquisition.

   (c) Sale deeds shall be classified as per the nature of the land as agricultural, residential, industrial and commercial.

   (d) Rates for agricultural, residential, industrial and commercial shall be separately identified.

   (e) Suggested matrix for compilation of the rates is as under:-

शरद कुमार जैन
SHARD KUMAR JAIN
General Manager/LA/SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

Name of the Village	Present Circle Rate				Average Sale price as per the 50% sale deeds in last 3 years.				Proposed rate for acquisition			
	Agri	Resi	Ind	Comm	Agri	Resi	Ind	Comm	Agri	Resi	Ind.	Comm.

(f) The forest department of the concerned Districts shall be requested for the valuation of Trees.

(g) The public works department of the concerned Districts shall be requested for the valuation of Structures to be acquired.

(h) The Revenue Department shall assess the damage of crops, if any for compensation.

(i) In order to implement the provisions of NRRP, 2007 applicable to the Land Acquisition for DFCCIL following activities needs to be under taken.

(j) Identification of small and marginal farmers: As soon as the Notification under section 20 A is published the PAP's list should be drawn on the basis of latest revenue record (Khatauni). This list along with the area of the land to be acquired for each khathedar should be submitted to the Tehsildar of the concerned sub-division. He shall identify the persons rendered to the status of small and marginal farmer due to Land Acquisition for DFCC.

(k) All the persons whose land is being acquired shall be paid Rs. 20,000 each. This amount should also be taken into consideration for working out the compensation package.

4. The estimate/award furnished by the Competent Authority as determined may be got approved by an in house committee in the chairmanship of GGM/Finance at the Corporate Office. Wherever the award for Competent Authority is not found to be reasonable/acceptable, DFCCIL may while depositing the amount in the joint account, refer the matter for arbitration.

5. The Competent Authority shall make a village wise award. The award shall have a performa annexed to it which will have the item wise details of compensation to be paid for the village. "Annexure 10"

6. After the declaration of the award the compensation for each and every beneficiary shall be worked out and shall be compiled as per "Annexure – II".

SHARD KUMAR JAIN
General Manager/LA & Secretary
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

7. All the affected PAP's shall be sent a notice as per "Annexure -III" for collecting the compensation award by the Competent Authority.

8. The compensation shall be distributed as per the Performa "Annexure-IV".

9. The compensation shall be disbursed when the Khatedars delivers the possession on land as per "Annexure-V".

10. The Competent Authority after making a payment to the PAP's shall compile the details of the acquired land as per "Annexure-VI" and submit a report to the District Collector for his approval for mutation in the Revenue records, in the name of the acquiring agency.

11. Once the District Collector approves the mutation the Competent Authority shall send a report as per "Annexure-VII" to the Tehsildar of the concerned sub-division for incorporating the mutation in the revenue records.

12. The proposal for the acquisition of Government land shall be separately prepared and shall be submitted to the District Collector. The Performa for the acquisition of Government land is prescribed by the State Government and can be procured from the office of the Collector. The Rate for Government land shall be worked out by the Collector Office and needs to be deposited in the Government treasury.

This issues with the approval of Competent Authority.

25/6/09.

(Sharad Kr. Jain)
GM/SEMU

Encl. : Annexure I to VII

KUMAR JAIN
महाप्रबंधक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टर्न कोरीडोर
General Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

All CPMs/GMs/GGMs
Copy to Dir(PP), Dir(Finance) & Dir(OP & BD)
Copy to Secy to MD for kind information of MD

Annexure - I 33/04

प्रस्तावित अभिनिर्णय

1 वाद संख्या — 1/1/2006

2 ग्राम का नाम — डासना

3 परगना व तहसील — डासना व गाजियाबाद ।

4 जनपद — गाजियाबाद (उ0प्र0)

5 अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल — 470008.00 वर्ग मीटर

6 भूमि अधिग्रहण का परियोजन — भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेस–वे) के निर्माण हेतु ।

7 अध्याप्ति निकाय का नाम — सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय(भारत सरकार) द्वारा प्रबन्धक(एन–I) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी–5 एव 6 सैक्टर–10 द्वारका नई दिल्ली ।

8 क्या जमींदारी बिनाश क्षेत्र है — हॉ

9 राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 के अन्तर्गत धारा–3ए की अधिसूचना प्रकाशन का दिनांक — अधिसूचना संख्या–का.आ.1247(अ) भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड–3 उप खण्ड–(II) दिनांक 02.08.2006

10 धारा–3ए की उपधारा–(3) के प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशन की तिथि

अमर उजाला	दैनिक जागरण
23.08.06	24.08.06

11 उक्त अधिनियम की धारा–3डी की उप धारा–(1) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि — अधिसूचना संख्या–का.आ. 2050 भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड–3, उप खण्ड–II दिनांक 30.11.2006

12 उक्त अधिनियम की धारा–3जी की उप धारा–3 के अन्तर्गत स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशन की तिथि एवं दर निर्धारण हेतु सार्वजनिक सूचना की विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि

अमर उजाला	राष्ट्रीय सहारा	दैनिक जागरण
07.06.07	07.06.07	—
—	07.09.07	08.09.07

13 अभिनिर्णय की तिथि — —

14 अधिकार की तिथि — —

15 अभिनिर्णय की धनराशि

भूमि के प्रतिकर की धनराशि:–	रू0	37,72,34,546.48
भवनों के प्रतिकर की धनराशि:–	रू0	8,64,038.00
वृक्षों के प्रतिकर की धनराशि:–	रू0	28,620.00
फलदार वृक्षो की धनराशि:–	रू0	5,031.00
ट्यूवेल एवं बोरिंग के प्रतिकर की धनराशि:–	रू0	27,163.00
योग :–	रू0	37,81,59,398.48
10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि:–	रू0	3,78,15,939.85
सम्पूर्ण योग:–	रू0	41,59,75,338.33

16 कुल प्रस्तावित अभिनिर्णत धनराशि पर 10 प्रतिशत भूमि अर्जन व्यय

17 पूँजीकृत मूल्य की धनराशि (1631.41X150.00)

SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबन्धक/भूमि अर्जन/सेमू/ईस्टर्न कोरीडोर
Genreal Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग(ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेस–वे) के निर्माण हेतु जिला गाजियाबाद के ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील गाजियाबाद मे भूमि अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय(अधिशासी निदेशक, स्पेन कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, 92–सी गुरूद्वारा मार्ग, मदनगिर नई दिल्ली–110062 कार्यालय के पत्र संख्या–एस.सी.पी.एल./सी.–676/जी/94 दिनांक 23.05.06 द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गाजियाबाद को प्राप्त कराया गया. इस प्रकरण मे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3(ए)(1) के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधरण राजपत्र गजट मे अधिसूचना दिनांक 02.08.06 तथा स्थानीय समाचार पत्र "अमर उजाला" व "दैनिक जागरण" मे क्रमशः दिनांक 23.08.06 व 24.08.06 को प्रकाशित कराया गया । इस भूमि अर्जन प्रस्ताव के सन्दर्भ मे भू–स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–सी के अर्न्तगत प्राप्त 11 आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त धारा–3डी की कार्यवाही हेतु प्रबन्धक(एन–I) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जी–5 एवं 6 सैक्टर–10 द्वारका नई दिल्ली को इस कार्यालय के पत्र संख्या–815 दिनांक 30.10.06 द्वारा सन्दर्भित किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा–3डी के अन्तर्गत ग्राम डासना मे क्षेत्रफल 470008.00 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहण की सूचना भारत का असाधारण राजपत्र गजट मे दिनांक 30.11.06 को प्रकाशित किया गया है जिसका प्रकाशन समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" एवं "अमर उजाला" मे दिनांक 07.06.07 को अधिसूचना प्रकाशित कराई जा चुकी है । जिसमे से ग्राम समाज क्षेत्रफल 56767.00 वर्ग मीटर भूमि एवं अधिक गजट क्षेत्रफल 11389.00 वर्ग मीटर बहिष्कृत कर कृषिक भूमि क्षेत्रफल 401852.00 वर्ग मीटर भूमि का अभिनिर्णय घोषित करने हेतु तैयार किया गया है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3डी के अन्तर्गत प्रतिकर से सम्बन्धित दावों के प्रस्तुतिकरण हेतु समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा"एवं"दैनिक जागरण" मे दरों के निर्धारण हेतु क्रमशः दिनांक 07.09.07 व 08.09.07 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई । उक्त अधिनियम की धारा–3जी के अन्तर्गत ग्राम के भू–स्वामी एवं हितबद्ध आपत्तियों के निराकरण निम्नवत है:–

उक्त अधिनियम की धारा–3जी के अन्तर्गत समयबद्ध दिनांक 11.09.07 को श्री ममरेज पुत्र हबीब खां निवासी डासना, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी । इस आपत्ति के निस्तारण हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–517/आठ–अ0जि0अ0/भू0अ0/सं0सं0/गाजियाबाद दिनांक 24.09.07 द्वारा आपत्ति सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29.09.07 निश्चित करते हुए नोटिस जारी की गयी नियत तिथि पर हितबद्ध भूस्वामी श्री ममरेज पुत्र हबीब खां उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा खसरा नम्बर 564 रकबा 4–13–4 बीघा भूमि का मालिक व काबिज बताया गया । साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 के खसरा नम्बर 1564 से 1570 तक भू–चित्र की छाया प्रति प्रस्तुत करते हुए 18 लाख रूपया प्रति कच्चा बीघा अथवा वर्तमान स्टाम्प दर के आधार पर प्रतिकर की मांग की गयी है । दिनांक 29.09.07 को उनकी आपत्ति को सुना गया प्रतिकर की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 28.09.07 द्वारा नामित संयुक्त समिति द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

जैन
SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबन्धक/भूमि अधिग्रहण/ईस्टन कोरीडोर
General Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

56
33/05

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत श्री हाजी कुंवर अयूब अली एडवोकेट द्वारा दिनांक 28.09.07 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि जनपद गाजियाबाद मे किसानों की जमीनों मे से ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेस–वे बनना प्रस्तावित है जिसके लिये अखबार मे गजट भी हो चुका है तथा मौके पर निर्माण करने वाली संस्था ने निशांन भी लगा दिये है, डासना तथा आस–पास तेजी से विकसित हो रही कालोनियों व बढती आबादी के कारण बाजार भाव काफी ऊचें है एन.सी.आर. का गजट होने तथा मौके पर निशांन लगने की वजह से किसानों को जल्द से जल्द बाजारी भाव का मुआवजा मिलना आवश्यक है। जमीन का मुआवजा बाजारी भाव से जल्द से जल्द दिलाये जाने की मांग की गयी है, परन्तु यह प्रार्थना पत्र समाचार–पत्र "राष्ट्रीय सहारा" व "दैनिक जागरण" मे प्रकाशित सार्वजनिक सूचना क्रमशः दिनांक 07.09.07 व 08.09.07 के प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि के बाद प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.09.07 को प्रस्तुत करने तथा कोई साक्ष्य न प्रस्तुत करने के अभाव मे निक्षेपित किया जाता है ।

ग्राम डासना, परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद मे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग(ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेस–वे) के निर्माण हेतु अधिग्रहित कृषिक भूमि क्षेत्रफल 401852.00 वर्ग मीटर के अभिनिर्णय हेतु प्रतिकर दर निर्धारण के लिये जिलाधिकारी द्वारा नामित कमेटी दिनांक 28.09.07 द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच की गयी ।

ग्राम डासना की अर्जित भूमि के सम्बन्ध मे बाजार दर के निर्धारण हेतु उप निबन्धक, गाजियाबाद के कार्यालय से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3ए की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 02.08.06 से एक वर्ष पूर्व अवधि के विक्रय पत्रों का संकलन किया गया । इस अवधि मे निष्पादित कुल 507 विक्रय पत्र प्राप्त हुए जिन्हे अनुसूची–2 मे सूचीबद्ध किया गया है ।

अनुसूची–2 के क्रमांक 119, 259, 341 एवं 452 अर्जित क्षेत्रफल के अन्दर के विक्रय पत्र है। यह विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 25.09.05, 28.11.05, 12.12.05 एवं 22.03.06 को निष्पादित किये है, जिनकी दर प्रति वर्ग मीटर क्रमशः रू0 375.00, 142.25, 472.22, 363.64 आती है । यह विक्रय पत्र समान उपयोगिता एवं उपादेयता की दृष्टि मे उचित नही है, क्योकि वर्तमान समय जनपद गाजियाबाद एन.सी.आर. सिटी होने के कारण एवं कृषक गण द्वारा दर निर्धारण के सम्बन्ध मे वर्तमान स्टाम्प दर के आधार पर प्रतिकर की मांग की जा रही है, इसके अतिरिक्त इन विक्रय पत्रों की दर बहुत कम है । ऐसी स्थिति मे इन विक्रय पत्रों मे से किसी विक्रय पत्र को प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप मे चयन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है ।

अनुसूची–2 के विक्रय पत्र संख्या–1 से 13 तक, 15, 16, 18 से 22 तक, 25 से 55 तक, 57 से 60 तक, 64, 69 से 75 तक, 78, 79, 81 से 95 तक, 98 से 107 तक, 109, 111 से 118 तक, 120 से 122 तक, 124 से 145 तक, 148 से 152 तक, 156 से 168 तक, 171 से 176 तक, 178 से 185 तक, 187 से 197 तक, 199 से 201 तक, 204, 207, 209 से 217 तक, 220, 222, 223, 225 से 232 तक, 234, 236, 237, 239 से 245 तक, 247, 249 से 253 तक, 257, 258, 262, 264, 265, 272, 275, 277, 280, 282 से 284 तक, 286 से 294 तक, 297 से 300 तक, 302 से 310 तक, 312 से 319 तक, 321, 322, 324, 325, 327 से 330 तक, 332 से 335 तक, 337 से 340 तक, 344 से 357 तक, 359 से 361 तक, 364, 366, 368 से 370 तक, 374 से 377 तक, 382, 383, 386 से 388 तक, 390 से 402 तक, 404 से 425 तक, 427 से 437 तक, 439, 441 से 451 तक, 453 से 485 तक, 487, 488, 490 से 507 तक आवासीय विक्रय पत्र है । इनका क्षेत्रफल

[Stamp: ... KUMAR JAIN / प्रबन्धक/भूमि अर्जन/सेमू/ईस्टर्न कोरीडोर / Manager LA & SEMU/EC / ... कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. / Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. / (भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम) / A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise]

55

बहुत ही कम है तथा यह विक्रय पत्र अधिक मूल्य देकर क्रय किये गये है, जो समान उपयोगिता एवं उपादेयता की दृष्टि से वर्तमान बाजार दर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नही करते है । ऐसी स्थिति मे इन विक्रय पत्रों मे से किसी को भी प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप मे प्रतिकर निर्धारण हेतु चयन करना उपयुक्त नही है ।

विक्रय पत्र संख्या–14, 17, 23, 24, 56, 61 से 63 तक, 65 से 68 तक, 76, 77, 80, 96, 97, 108, 110, 123, 146, 147, 153, 155, 169, 170, 177, 186, 198, 202, 203, 205, 206, 208, 218, 219, 221, 224, 233, 235, 238, 246, 248, 254, 255, 256, 260, 261, 263, 266 से 271 तक, 273 से 274 तक, 276, 278, 279, 281, 285, 295, 296, 301, 311, 320, 323, 326, 331, 336, 342, 343, 358, 362, 363, 365, 367, 371 से 373 तक, 378 से 381 तक, 384, 385, 389, 403, 426, 438, 440, 486 एवं 489 पर अंकित विक्रय पत्र कृषिक भूमि के विक्रय पत्र है । इन विक्रय पत्रों की भूमि अर्जित क्षेत्रफल से काफी दूर स्थित है तथा समान उपयोगिता तथा उपादेयता की दृष्टि से इनकी भौगोलिक स्थिति समरूप नही है । व्यक्तिगत लाभ हेतु भूमि का क्रय विक्रय किया गया है, जो वर्तमान बाजार भाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नही करते है और अधिकांशतः इन विक्रय पत्रों की भूमि समान स्थिति मे न होने एवं अर्जित क्षेत्रफल से दूर स्थित होने के कारण इन विक्रय पत्रों मे से किसी को भी प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप मे चयन किया जाना न्यायोचित नही है ।

अनुसूची–2 मे अंकित विक्रय पत्रों का विक्रय मूल्य अर्जित भूमि के वर्तमान बाजार दर के लिये उपयुक्त न पाये जाने के कारण कार्यालय उप निबन्धक–प्रथम, गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिये पुनरीक्षित न्यूनतम सर्किल रेट सूची जो जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 16.06.06 से प्रभावी है प्राप्त की गयी, जो भूमि अर्जन पत्रावली पर उपलब्ध है । ग्राम के सर्किल रेट के अवलोकन एवं स्थलीय निरीक्षण के समय प्रभावित भूस्वामियों एवं अन्य ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत ग्राम मे भूमि का क्रय विक्रय जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प डयूटी अदायगी हेतु निर्धारित न्यूनतम बाजार दर के अनुसार ही हो रहा है । ग्राम डासना की भूमि सभी सुखाधिकार से परिपूर्ण होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प डयूटी अदायगी हेतु निर्धारित बाजार दर को अर्जित भूमि प्रतिकर निर्धारण हेतु लागू करना उचित होगा जिसके आधार पर विवरण निम्नवत है:–

भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	स्टाम्प डयूटी प्रति वर्गमी० मुख्य मार्ग पर निर्धारित दर	कुल निर्धारित प्रतिकर की धनराशि
कृषिक भूमि	401852.00	938.74	37,72,34,546.48

अतः ग्राम डासना मे अर्जित की जा रही भूमि कृषिक भूमि 401852.00 वर्ग मीटर के लिये क्रमशः रू० 938.74 की दरों को स्वीकृत कर प्रतिकर निर्धारण एवं अभिनिर्णय घोषित करने हेतु संस्तुति की जाती है ।

अतएवं उपरोक्त के आधार पर कमेटी द्वारा संस्तुत उक्त प्रतिकर को स्वीकार करते हुए ग्राम डासना मे अर्जित की जा रही सम्पूर्ण कृषिक भूमि 401852.00 वर्ग मीटर का प्रतिकर जैसा कि अनुसूची–3 मे अंकित है, नियमनुसार निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्याप्ति इकाई द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का प्रतिकर वन क्षेत्राधिकारी

शरद कुमार जैन
SHARAD KUMAR JAIN
General Manager/LA
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

54
33/06

गाजियाबाद एवं फलदार वृक्षों का मूल्यांकन जिला उद्यान अधिकारी गाजियाबाद, भवनों के निर्माण का प्रतिकर अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–द्वितीय गाजियाबाद, ट्यूवेल एवं बोरिंग का मूल्यांकन अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई गाजियाबाद द्वारा कराया गया है । उक्त सम्बन्धित विभागों द्वारा मूल्यांकन आख्या प्राप्त हो गयी है, जो भूमि अर्जन पत्रावली मे उपलब्ध है । जिसके आधार पर अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का प्रतिकर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:–

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि:–	रू0 37,72,34,546.48
2	भवनों के प्रतिकर की धनराशि:–	रू0 8,64,038.00
3	वृक्षों के प्रतिकर की धनराशि:–	रू0 28,620.00
4	फलदार वृक्षो की धनराशि:–	रू0 5,031.00
5	ट्यूवेल एवं बोरिंग के प्रतिकर की धनराशि:–	रू0 27,163.00
	योग :–	रू0 37,81,59,398.48
	10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि:–	रू0 3,78,15,939.85
	सम्पूर्ण योग:–	रू0 41,59,75,338.33

अतएवं उपरोक्त निर्धारित दर के अनुसार अर्जित कृषिक भूमि क्षेत्रफल 401852.00 वर्ग मीटर का प्रतिकर रू0 37,72,34,546.48 और इस पर स्थित वृक्षों का प्रतिकर रू0 28,620.00, फलदार वृक्षों का प्रतिकर रू0 5,031.00, भवनों का प्रतिकर रू0 8,64,038.00 तथा बोरिंग एवं ट्यूवेल का प्रतिकर रू0 27,163.00, इस प्रकार कुल निर्धारित धनराशि पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3जी(2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से रू0 3,78,15,939.85 अतिरिक्त प्रतिफल देय होगा । इस प्रकार कुल अर्जित भूमि तथा इस पर स्थित परिसम्पत्तियों का प्रतिकर रू0 37,81,59,398.48 निर्धारित किया जाता है ।

अध्याप्ति व्यय:– कुल प्रस्तावित अभिनिर्णत धनराशि रू0 41,59,75,338.33 पर 10 प्रतिशत की दर से रू0 4,15,97,533.83 अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बन्धित लेखाशीर्षक मे जमा किया जायेगा ।

पूँजिकृत मूल्य:– अर्जित भूमि के भू–राजस्व रू0 1636.41 का 150 गुना रू0 2,44,711.50, अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के राजस्व विभाग के सम्बन्धित लेखाशीर्षक भू–राजस्व 0029 मे जमा किया जायेगा ।

अत: मै सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद ग्राम डासना की कृषिक भूमि क्षेत्रफल 401852.00 वर्ग मीटर एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित धनराशि एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल सहित प्रश्नगत ग्राम का प्रस्तावित अभिनिर्णय रू0 41,59,75,338.33 सन्दर्भित किया जा रहा है । प्रस्तावित अभिनिर्णय की धनराशि राजस्व अभिलेख ग्राम डासना परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खतौनी के अभिलेखानुसार भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों के नाम भूमि अर्जन प्रपत्र–11 मे अंकित की जायेगी ।

Genreal Manager/LA & SEMU/EC
डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

दिनांक:–

(डॉ0 आभा गुप्ता)
सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)
संयुक्त संगठन, गाजियाबाद ।

परिशिष्ट–3

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3ए अधिसूचना संख्या–का.आ. 1247(अ) भारत का राजपत्र असाधारण भाग–।।, खण्ड–3 उपखण्ड–।। दिनांक 02.08.2006 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिये पुनरीक्षित न्यूनतम सर्किल रेट की सूची जो जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 16.06.06 से प्रभावी है के आधार पर प्रतिकर निर्धारण की प्रगणना निम्नवत की जाती है:–

ग्राम का नाम:– डासना परगना:– डासना तहसील– गाजियाबाद जिला:– गाजियाबाद

अर्जित क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	सर्किल रेट की दर प्रति वर्ग मीटर में	निर्धारित प्रतिकर	धनराशि
401852.0	938.74	1. भूमि का प्रतिकर	37,72,34,546.48
		2. भवनों का प्रतिकर	8,64,038.00
		3. वृक्षो का प्रतिकर	28,620.00
		4. फलदार वृक्षो का प्रतिकर	5,031.00
		5. ट्यूबवेल एवं बोरिंग का प्रतिकर	27,163.00
		योग:–	37,81,59,398.48
		10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि	3,78,15,939.85
		कुल योग:–	41,59,75,338.33
		(अ) कुल प्रस्तावित अभिनिर्णित धनराशि पर 10 प्रतिशत भूमि अर्जन व्यय	4,15,97,533.83
		(ब) पूँजीकृत मूल्य (1631.41X150)	2,44,711.50
		योग (अ+ब):–	4,18,42,245.33
		सम्पूर्ण योग:–	45,78,17,583.66

ह0 अमीन(भू0अ0)

ह0 ओचकर्ता 4/12/07

ह0 अहलमद

सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
संयुक्त संगठन, गाजियाबाद ।

शरद कुमार जैन
SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबन्धक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टर्न कोरीडोर
General Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

Annexure - II

भूमि अर्जन प्रपत्र – 11 (नक्शा 11)

वाद संख्या.................................ग्राम का नाम ....परगना ....तहसील .... जिला गाजियाबाद

[illegible]	नाम काश्तकार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	दर प्रति बीघा या प्रति वर्ग मीटर	प्रतिकर	60% 30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त धनराशि	योग प्रतिकर	80% वितरित	80% अवितरित प्रतिकर	शेष प्रतिकर	ब्याज 9%	ब्याज 15%	योग ब्याज	आयकर कटौती	ब्याज सहित प्रतिकर की धनराशि	भुगतान की तिथि	धनराशि	कैफियत
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

हस्ताक्षर
( )
तैयारकर्ता
भू० अ० अमीन

हस्ताक्षर
( )
जाँचकर्ता
भू० अ० अमीन

हस्ताक्षर
( )
अहलमद

हस्ताक्षर
अपर जिलाधिकारी (भू० अ० ए० स०)
गाजियाबाद

SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबंधक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टर्न कोरिडोर
General Manager/LA & SEMU/EC
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
(Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise)

52
33/07

Annexure III

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद।

पत्रांक /आठ–आ0जा0अ0/भू0अ0/सं0सं0/गाजियाबाद दिनांक

नोटिस

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे) के स्थाई निर्माण हेतु अर्जन से प्रभावित ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला गाजियाबाद अधिग्रहीत भूमि का अभिनिर्णय दिनांक [illegible] को घोषित किया जाने के उपरान्त अर्जित भूमि का प्रतिकर वितरण हेतु दिनांक [illegible] नियत की जाती है तथा एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान खतौनी उद्धरण की मूलप्रति, तहसीलदार द्वारा हिस्सा प्रमाण पत्र, व स्वयं के फोटो, बैंकों एवं सहकारी समिति के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ दिनांक [illegible] को प्रतिकर प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर आप अपनी अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान प्राप्त कर लें, अन्यथा आपकी प्रतिकर धनराशि आपके नाम से आर०डी० मद में जमा कर दी जायेगी।

खाता संख्या	कृषक का नाम मय वल्दियत / पता सहित	खसरा संख्या	अर्जित रकबा वर्ग मीटर में	हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा
237	राजपाल सिंह पुत्र शानी नि॰ दुहाई	676 678	306.2 360.0 666.2	

शरद कुमार जैन
SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबंधक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टर्न कॉरिडोर
Genreal Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
संयुक्त संगठन, गाजियाबाद।

Annexure - IV 60 33/0

F. H. B. Vol. V. Appendix XI, Form CC

Consolidate voucher for payment made during 20, in accordance with award Statement on ....dated........................ of land acquired for ....

in the district of ....Tehsil.......................................Mauza..

Serial No. in Award Statement	Name of Payee	Area of land	Amount Paid Rs.	P.	Signature of the Payee and date of payment
1	2	3	4		5
		Total			

Paid in my presence in cash / by cheque of the above persons the total sum of Rupees ....and paise...only.

Dated............................20

Place...

शरद कुमार जैन
SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबंधक/भूमि अर्जन/सेम्/ईस्टर्न कोरीडोर
Genreal Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

Signature of Officer
ADM (Land Acquisition)
(J. O.) Ghaziabad

@ In words in handwriting of the drawing officer.

F. H. B. Vol. V. Appendix XI, Form CC

Consolidate voucher for payment made during 20, in accordance with award Statement on ....dated........................ of land acquired for ....

in the district of ....Tehsil.......................................Mauza...

Serial No. in Award Statement	Name of Payee	Area of land	Amount Paid Rs.	P.	Signature of the Payee and date of payment
1	2	3	4		5
		Total			

Paid in my presence ___in cash / by cheque___ of the above persons the total sum of Rupees...

....and paise...only.

SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबन्धक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टन कॉरिडोर
General Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
(A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

Dated............................20

Place...

Signature of Officer
ADM (Land Acquisition)
(J. O.) Ghaziabad

● In words in handwriting of the drawing officer.

Annexure-V

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) रा0सं0, गाजियाबाद।

अधिकार–पत्र (कब्जा परिवर्तन)

1. राजस्व ग्राम [illegible]
2. परगना / तहसील / जिला [illegible], गाजियाबाद, गाजियाबाद।
3. अर्जन निकाय का नाम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी–5 एवं 6, सैक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली ।
4. प्रयोजन का नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थायी निर्माण हेतु।
5. राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3ए की विज्ञप्ति संख्या व दिनांक अधिसूचना संख्या का.आ.1247(अ) भारत का राजपत्र असाधारण–II, खण्ड–3, उपखण्ड–(II) दिनांक [illegible]
6. राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3डी की विज्ञप्ति संख्या व दिनांक अधिसूचना संख्या का.आ. 2050 भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II–3 उपखण्ड–(II), दिनांक [illegible]
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि :

प्रश्नगत ग्राम के अर्जन से प्रभावित निम्न संलग्न अनुसूची के खसरा नम्बरान [illegible] एवं उस पर स्थित सम्पत्ति का कब्जा अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी–5 एवं 6, सैक्टर–10 द्वारका नई दिल्ली को निम्नलिखित भू–स्वामियों द्वारा अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों का कब्जा हस्तान्तरण उपर्युक्त अर्जन निकाय के नामित प्रतिनिधि को दिया गया।

क्रमांक	खाता संख्या	कृषक का नाम	खसरा संख्या / रकबा व0मी0 में	सम्पत्ति का विवरण	कृषक के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी
1.	21	[illegible] [illegible] [illegible] पुत्रगण मनफूल निवासी [illegible] [illegible] चौधरी पुत्र सहन्सरपाल निवासी [illegible]	[illegible]/12476.5	बोरिंग 2 [illegible]–1	[illegible]
2.	42	फकरुद्दीन पुत्र इस्माईल खॉ [illegible] बेगम पत्नी फकरुद्दीन नि0 [illegible]	387 / 262.3		[illegible]
3.	64	[illegible] [illegible] पुत्रगण [illegible] नि0 ग्राम	421 / 13439.0	[illegible]–1 [illegible] [illegible]–1	
4.	[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] पुत्रगण हरीकिशन [illegible] पत्नी हरीकिशन नि0 [illegible] [illegible]	552 / [illegible]		
5.	121 /	[illegible] पुत्र [illegible] नि0 ग्राम	426 / [illegible] 506 / 1710.0	[illegible]–1	

SHARD KUMAR
महाप्रबंधक/भूमि
General Manager
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

19.	351	[illegible] पुत्र आनन्द [illegible] कुमार [illegible]	546/4971		
20.	356	[illegible]			सरला
21.	362	[illegible]			
22	373	[illegible] पुत्र [illegible] [illegible] कुमार [illegible]	53[illegible]/[illegible]	[illegible]-1	
23.	392	[illegible] [illegible] कुमार [illegible]	535/[illegible]	[illegible]-2	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम :-

पदनाम :-

दिनांक :-

[illegible] हस्ताक्षरित

(डॉ0 आभा गुप्ता)
[illegible] / अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)
संयुक्त संगठन, गाजियाबाद ।

शरद कुमार जैन
SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबन्धक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टर्न कोरीडोर
General Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

Annexure VII 45

रूप पत्र–2

तहसीलदार

तहसील
जिला–गाजियाबाद।

चूँकि अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद की रिपोर्ट दिनांक .... के अनुसार भूमि अध्याप्ति वाद संख्या .... सन् .... में .... विभाग 6(1) की विज्ञप्ति संख्या .... दिनांक .... के अनुसार निम्नलिखित कृषक की भूमि पर दिनांक .... को उत्तर प्रदेश भारत सरकार(........................ ....) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है। अब भू–अभिलेख आदि में उपरोक्त राजकीय सम्पत्ति का अमलदरामद होना आवश्यक है।

जिला तहसील परगना तप्पा ग्राम:–

कृषक का नाम बल्दियत के साथ	नम्बर खाता खतौनी	खसरा नम्बर	अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल	मलगुजारी जो कम की जायेगी	फसल व सन जब से आदेश लागू होगा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7

शरद कुमार जैन
SHARD KUMAR JAIN
महाप्रबन्धक/भूमि अर्जन/सेमु/ईस्टर्न कॉरीडोर
General Manager/LA & SEMU/EC
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
(Government of India (Ministry of Railways) Enterprise)

स्तम्भ 1 में उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों (का/के) नाम स्तम्भ 2,3 [illegible] के खरिज करके उत्तर प्रदेश भारत सरकार(विभाग) के नाम खतौनी में दर्ज की जायें बाद अमलदरामद एक प्रति मय तामील रिपोर्ट के तीन सप्ताह में सम्मिलित करने हेतु सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद को वापस भेजा जायें ।

कलेक्टर,
भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ,
गाजियाबाद।

Annexure : VI 46
33/10

रूप पत्र–1

कलेक्टर,

उ0प्र0 शासन ....के अधिसूचना संख्या ....दिनांक .... जो गजट दिनांक .... के भाग.............. के पृष्ठ संख्या ....पर छपी है उसके अनुसार भूमि अध्याप्ति मुकदमा नम्बर ....सन् ....तारीख ....के फैसले द्वारा निम्नलिखित भूमि लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट 1894 के अन्तर्गत अध्याप्ति की जा चुकी है और इस भूमि पर उ0प्र0/भारत सरकार(   ) विभाग को कब्जा दिनांक .... को दे दिया गया है। अतः लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा–33(2) के अन्तर्गत भू–अभिलेखों मे तदनुसार संशोधिन के आदेश देने की कृपा करें ।

अध्याप्ति की हुई भूमि का विवरण

जिला–गाजियाबाद तहसील परगना तप्पा ग्राम:–

कृषक का नाम बल्दियत के साथ	नम्बर खाता खतौनी	खसरा नम्बर	अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल	मलगुजारी जो कम की जायेगी	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

SHARD KUMAR JAIN
LA & SEMU/EC
परिशन ऑफ इण्डिया लि.
Corridor Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम)
(Govt. of India Ministry of Railways) Enterprise)